

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या 345 / 15

09-09-15

नसीरुद्दीन मिर्जा बनाम अशुभ अहसारी गैरौं

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

धारा 144 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही / नोटिस।

स्थानीय पुलिस

सरिया

थाना से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसरित किया गया है, के

अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि

उभय पक्षों के बीच जमीन संबंधी विवाद है।

के कारण उभय पक्ष के बीच शांति-भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर है, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति-भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों में आलोक में उभय पक्ष के विरुद्ध धारा 144 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा उभय पक्ष को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्ष से दिनांक 23-09/2015 के कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय।

विवादाग्रस्त भूमि का विवरण

मीजा - बगौडीह, थाना - सरिया, जिला - गिरिडीह

खाना नं०-111, लोट नं० 2704 एवं 2705 रकबा 30 बी० एवं 80 बी०

① 30 - लोट नं० 2705, दू० जंगल कांड, पू०-ग्रामीण रास्ता, प०-जंगल म०

② 30 - इलाही मिर्जा का घर, दू० लोट नं० 270, पू०-ग्रामीण कच्चा रास्ता

प०-जंगल मिर्जा

लेखापत्र

अनु० 23/09/15

अनु० 23/09/15
बगौदर-सरिया

23-09-15

उभय पक्ष अनुपस्थित।

अभिलेख दिनांक 07-10-15 को रखें।

अनु० 23/09/15
बगौदर-सरिया

07/10/15 उत्तरपक्ष अनुपस्थित
पिठासीन पदां अन्य कार्य में उपस्थित
अभिलेख दिनांक 16/10/15 की रखा

अनुप दण्डा
वगीट-साला

16/10/15 उत्तरपक्ष वकालत हाजिर रहे।
पिठासीन पदां चुनाव कार्य में उपस्थित
अभिलेख दिनांक 28/10/15 की रखा

अनुप दण्डा
वगीट-साला

28/10/15 उत्तरपक्ष वकालत हाजिर रहे।
पिठासीन पदां चुनाव कार्य में उपस्थित
अभिलेख दिनांक 06/11/15 की रखा

3

06/11/15 उत्तरपक्ष वकालत हाजिर रहे।
दाखिल किया गया है।
पिठासीन पदां चुनाव कार्य में उपस्थित
अभिलेख दिनांक 09/12/15 की रखा

अनुप दण्डा
वगीट-साला
द्वारा कालापूर
प्रथम

09/12/15

वाद की तक्रिमा की जावाब
समाप्त होने के कारण वाद की
कापवाही समाप्त की जाती है।

अनुप दण्डा
वगीट-साला

20/11/15